महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्या–1900 / नौ–7–2022–81(ज) / 2019टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2022**

विषयः प्रदेश में नगरों के जन्म दिवस मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1788 / नौ–7–2021–81(ज) / 2019टी0सी0 दिनांक 22.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के नगरों की विशिष्ट विशेषताओं को उदघाटित करते हुए देश में उनकी अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु नगरों के सृजन दिवस को नगरों को जन्म दिवस के रुप में मनाये जाने के हेतु नगरों के अस्तित्व में आने के संबंध में प्रामाणिक तिथि (जन्म दिवस), ऐतिहासिक घटनाओं को तिथिवार लिपिबद्ध करने, ऐतिहासिक, पौराणिक, विरासत स्थल, पार्कों को सूचीबद्ध करने, नगर के महापुरूषों से संबंधित प्रेरक प्रसंगों को संकलित करने, नगर के आर्थिक विकास के परिचायक उत्पादों / उद्योगों को नगर की पहचान की मुख्य अवयवों में समाहित करने, नगर के पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रति लोगों को जागरुक करने एवं उत्सव के दौरान नगर की स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कार्ययोजना बनाये जाने के विषयगत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **नगर के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति नागरिकों के अन्दर गौरव की अनुभूति जागृत करने तथा नगर के विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु नगर के प्रामाणिक सृजन तिथि को नगर के जन्म दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।** उक्त अवसर पर नगर में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

(1) नगर के जन्म दिवस पर **शहर के प्रमुख स्थानों यथा ऐतिहासिक स्थलों, पार्कों इत्यादि पर**, यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए, **कार्यक्रम / उत्सव** आयोजित किये जायें। इसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ध्वजारोहरण आदि को भी समाहित किया जाये।

(2) उक्त कार्यक्रम / उत्सव में **स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ लोककला / साहित्य / संस्कृति** (यथा–पूर्वांचल–कजरी, झूमर, बिरहा, ब्रज क्षेत्र–होरी, फाग, पश्चिमी क्षेत्र–रागिनी, टोला, अवध–कव्वाली, बुन्देलखण्ड–आल्हा इत्यादि**) से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित** किया जाए।

(3) उक्त कार्यक्रम में **स्वतन्त्रता सेनानी / भूतपूर्व सैनिक / महत्वपूर्ण खिलाड़ी / बुद्धिजीवी** इत्यादि को भी आमन्त्रित किया जाय।

(4) उक्त कार्यक्रम में नगर के **ऐतिहासिक तथ्यों / महापुरूषों से संबंधित प्रेरक प्रसंगों** को भी समाहित किया जाये। एक सप्ताह तक निकाय में इनकी **फोटो प्रदर्शनी** लगाई जाये।

(5) उक्त कार्यक्रम में निकाय द्वारा **गतवर्ष नागरिक सुविधाओं के विषयगत किये गये प्रमुख कार्यो** तथा **आगामी वर्ष में किये जाने वाले प्रमुख कार्यो** से संबंधित तथ्यों को भी रेखांकित किया जाये। नागरिक सुविधाओं के कैंप भी लगाए जाएं।

(6) उक्त कार्यक्रम में नगर की **आर्थिक विकास के विशिष्ट पहचान वाले उद्योगों / उत्पादों** (यथा ODOP) को नगर की पहचान के मुख्य अवयव के रूप में समाहित करने हेतु कार्यक्रम संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये आयोजित किया जाये।

(7) उक्त कार्यक्रम में नगर के **पर्यावरण परिस्थितिकी** यथा नदियाँ, वाटरबॉडीज, ग्रीनफारेस्ट / बायो–डायवरसिटि को संरक्षित करने के विषयगत कार्यक्रम भी आयोजित किये जाये तथा इनके किनारे / तट पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाये।

(8) उक्त कार्यक्रम में नगर की स्वच्छता हेतु जन सहयोग प्राप्त करने हेतु भी कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

(9) नगर के जन्म दिवस के अवसर पर नगर के **शिक्षण संस्थानों** में, संबंधित संस्था/विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नगर के ऐतिहासिक महत्व/महापुरूषों के प्रेरक प्रसंग/नगर के पर्यावरण पारिस्थितिकी/स्वच्छता के विषयगत कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

(10) नगर के जन्म दिवस के अवसर पर **पूरे सप्ताह मिशन मोड में नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था** के विषयगत पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अधीन नगर की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

(11) उक्त अभियान में ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, इत्यादि का वैज्ञानिक प्रबन्धन सुनिश्चित किया जाय।

(12) उपर्युक्त सप्ताह में विशेष अभियान चलाकर नगर के **शिक्षण संस्थानों में संबंधित संस्थान/विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए साफ–सफाई व्यवस्था** सुनिश्चित किया जाये।

(13) समय–समय पर विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर के सभी गार्बेज वलनरेबल प्वॉइन्ट (GVP) को समाप्त करते हुए सभी कुड़ा पड़ाव स्थलों पर भी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। निकाय के सभी गार्बेज वलनरेबल प्वॉइन्ट (GVP) को समाप्त विलोपित करते हुए उक्त स्थल स्थल पर सेल्फी प्वांइट्स, रेहडी पट्री वालो को जगह आवंटित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेन्च की व्यवस्था, पेड़ व गमला लगाना इत्यादि के रूप में सौन्दर्यीकरण किया जाय।

(14) नगर के जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष ध्यान देकर **नगर की प्रकाश व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था** को भी दुरूस्त किया जाये।

(15) नगरो के जन्मोत्सव के अवसर पर नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को सुन्दर बनाये जाने के विषयगत निर्गत शासनादेश दिनांक 10.04.2022 के कम में सड़कों पर **मानक के अनुरूप लेन पेंटिंग, साइनेज चिन्ह, जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट, रोड साइड प्लांटेशन, वर्टिकल गार्डेन, वॉलपेन्टिग** इत्यादि के विषयगत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(16) निकाय के अथवा निकटतम कान्हा गौशाला में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नागरिक भ्रमण करें तथा गौसेवा एवं गौवंश पुनर्वास में सहयोग सुनिश्चित करें। एक सप्ताह तक गौशाला व उसके आस–पास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान सुनिश्चित किया जाये।

(17) उपर्युक्त कार्यक्रम में आने वाला व्ययभार (नगर पंचायत में ₹ 25000/–, नगर पालिका परिषद में ₹ 50000/– एवं नगर निगम में ₹ 1,00,000/– तक व्यय) का वहन निकाय द्वारा निकाय निधि/स्वयं के सोव्रों से किया जा सकता है। उक्त हेतु सी0एस0आर0 फन्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। उक्त धनराशि उपलब्ध न होने पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत निकाय को Devolve धनराशि से कार्मिकों के अधिष्ठान मद की देयताओं यथा कर्मचारियों के वेतन/भत्ते/ पेंशन/मानदेय आदि के भुगतान के पश्चात अवशेष धनराशि से किया जा सकता है।

कृपया उक्त अपेक्षा के कम में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

NV 7 2022